न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रा0पत्र 5/2019

प्रार्थीः—

श्रीमती हंजा बाई पत्नी स्वर्गीय लच्छाराम उम्र 79 वर्ष जाति चौधरी निवासी मकान नबर 411 बापू नगर नगर विस्तार पाली

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. श्री गणपत पुत्र श्री स्वर्गीय लच्छाराम
2. श्री खीमाराम पुत्र श्री स्वर्गीय लच्छाराम
3. श्री नारायणलाल पुत्र श्री स्वर्गीय लच्छाराम तमाम जातिगण चौधरी निवासीगण 411 बापू नगर विस्तार, पाली

उपस्थितिः—

1. श्रीमति हंजा बाई, प्रार्थी
2. श्री गणपत, श्री खीमाराम, श्री नारायणलाल अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

—:निर्णयः— दिनांक- 09.07.2019

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान के न्यायालय मे अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया जो राजस्व विविध 10/2015 अनवान हंजा बाई बनाम गणपत वगैरा के नाम से दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 02.11.2015 को बाद तामिल तीनों अप्रार्थीगण के नोटिस प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 तारीख पेशी दिनांक 02.11.15 को अनुपस्थित रहा तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित रहे। उसी दिन अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा दोनो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा प्रार्थिया को सुनने के पश्चात् आदेश पारित किया गया कि अप्रार्थीगण के आय स्त्रोत को ध्यान मे रखते हुये अप्रार्थी संख्या 1 श्री गणपत प्रति 1500/—, अप्रार्थी 2 खीमाराम प्रतिमाह 500/— एवं अप्रार्थी 3 श्री नारायणलाल 1000/— प्रतिमाह प्रार्थीया के खाते मे जमा करवाकर रसीद अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तथा तीनो अप्रार्थीगण व उनकी पत्नीयों को भी पाबन्द किया गया कि वे प्रार्थीया का मान सम्मान करेंगे व मारपीट नहीं करेंगे। उपरोक्त आदेश के बाद सभी

उपखण्ड अधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण ने श्रीमान के आदेश का धृष्टतापूर्वक उल्लघन कर प्रार्थीया को भरण–पोषण हेतु तय राशि प्रार्थिया के खाते मे जमा नही की। जिस पर प्रार्थीया ने दिनांक 21.11.15 को पुनः एक प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे आदेश दिनांक 02.11.15 की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु पेश किया जो दिनांक 22.02.15 को राजस्व विविध संख्या 13/2015 अनवान हंजा बाई बनाम गणपत वगैरह के नाम दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 15.02.16 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीया के खाते मे भरण पोषण बाबत तय राशि प्रार्थीया को खाते मे जमा करवाकर बैंक की फोटो प्रतिया श्रीमान के न्यायालय मे पेश की जाने से प्रकरण कार्यवाही समाप्त की जाने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अंतिम बार प्रार्थिया के खाते मे दिनांक 16.02.17 को 500 रूपये जमा करवाये थे। तब से अब तक खीमाराम ने कोई राशि प्रार्थीया के खाते मे जमा नहीं करवाई हैं न ही नकद या अन्य किसी तहर से भुगतान किया है। अप्रार्थी संख्या 1 गणपतलाल ने अंतिम बार दिनांक 16.05.2017 को प्रार्थिया के खाते मे तय राशि जमा करवाई तब से अब तक प्रार्थीया के खाते मे राशि गणपतलाल ने जमा नही करवाई न ही नगर या अन्य तरह से प्रार्थीया को भुगतान किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 नारायणलाल ने दिनांक 07.11.2017 को प्रार्थीया के खाते मे तय राशि जमा करवाई तब से अब तक कोई राशि प्रार्थीया के खाते मे या नकद या अन्य किसी तरह से प्रार्थीया को अदा नहीं की है। प्रार्थीया को सभी अप्राथीगण नारायणलाल, खीमाराम, गणपत से भरण पोषण की तय राशि आदेश दिनांक 02.11.15 की पालना सुनिश्चित करवाई जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा बावजूद नोटिस तामील होने के उपस्थित नहीं होने पर जरिये वारंट गिरफ्तारी से तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 ने लिखित मे जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे निवेदन किया कि प्रार्थीया ने झूठी व मिथ्या जानकारी दर्शाकर श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण पर लगाये गये समस्त आरोप झूठे व निराधार हैं। अप्रार्थी निरन्तर रूप से प्रार्थीया को श्रीमान के आदेशानुसार 1500/– रूपये की प्रतिमाह राशि नकद अदा करता रहा हैं। उसके बावजूछ प्रार्थीया ने उसकी नियत मे कपटता आ जाने के कारण राशि प्राप्त करने के पश्चात् भी श्रीमान के समक्ष झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया जो उसकी माता है उसकी मांग को देखते हुए वापस सम्पूर्ण बकाया राशि प्रार्थीया के बैंक खाते मे दिनांक 30.05.19 को जमा करवा दी है। प्रार्थीया ने कभी भी किसी भी माध्यम से अप्रार्थी से कोई भरण पोषण राशि की मांग नहीं की, न ही अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को कभी भरण–पोषण की राशि देने के लिए तंग परेशान नहीं किया गया न ही प्रार्थीया के साथ कोई मारपीट या गाली गलोच की गई। अप्रार्थी संख्या 01 वर्तमान मे पूना (महाराष्ट्र) मे

सहायक कलेक्टर

रहता है इस कारण उसका बार पाली आना संम्भव नहीं है। इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थीया के बैंक खाते मे एक मुश्त राशि जमा करवाता रहेगा। प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 1 मे भरण पोषण की राशि बाबत् 1 रूपया भी अब बकाया नहीं है।

4. अप्रार्थी संख्या 02 श्री खीमाराम ने लिखित मे जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे निवेदन किया कि प्रार्थीया ने झूठी व मिथ्या जानकारी दर्शाकर श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण पर लगाये गये समस्त आरोप झूठे व निराधार हैं। अप्रार्थी निरन्तर रूप से प्रार्थीया को श्रीमान के आदेशानुसार 500/– रूपये की प्रतिमाह राशि नकद अदा करता रहा हैं। उसके बावजूछ प्रार्थीया ने उसकी नियत मे कपटता आ जाने के कारण राशि प्राप्त करने के पश्चात् भी श्रीमान के समक्ष झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीया जो उसकी माता है उसकी मांग को देखते हुए वापस सम्पूर्ण बकाया राशि प्रार्थीया के बैंक खाते मे दिनांक 07.06.19 को जमा करवा दी है। प्रार्थीया ने कभी भी किसी भी माध्यम से अप्रार्थी से कोई भरण पोषण राशि की मांग नहीं की, न ही अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को कभी भरण–पोषण की रोशि देने के लिए तंग परेशान नहीं किया गया न ही प्रार्थीया के साथ कोई मारपीट या गाली गलोच की गई। अप्रार्थी संख्या 02 वर्तमान मे बेरोजगार है तथा खीमाराम अस्थमा रोग से ग्रसित है इस कारण प्रत्येक माह राशि कराना सम्भव नहीं है। प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 2 मे भरण पोषण की राशि बाबत 1 रूपया भी अब बकाया नहीं है।

5. अप्रार्थी संख्या 03 श्री नारायण लाल ने लिखित मे दिनांक 20.05.19 प्रार्थना पत्र पेश किया कि मुझ प्रार्थी के विरूद्ध मेरी माता श्रीमी हंजा बाई पत्नी लच्छारामजी चौधरी ने भरण पोषण का वाद दर्ज किया था। बाद मैंने नियमानुसार भरण पोषण कर खर्चा देता रहा हूँ। 2016 से मेरा स्वास्थ्य काफी खराब हो गया है। मेरी दोनो किडनी फैल होने से किडनी का मरीज हुँ। एवं इसी दौरान पथरी होने से पथरी का भी ऑपरेशन हुआ है। जिसका इलाज मे राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर से करवा रहा हूँ। मैं एक मजदुर हूँ। और प्रतिमाह ईलाज का खर्च 8,000–10,000 है। मैं अभी अपने ईलाज का खर्चा भी वहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दो बच्चों को भी मैं शिक्षा के अधिकारी के तहत निःशुल्क पढ़ा रहा हुँ। तथा मैं अत्यधिक बिमार होने से एवं मेरे उच्च रक्तचात होने से मेरा स्वास्थ्य काफी खरब हो गया है। तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र 12.06.19 को निवेदन किया कि वह पैसा का भुगतान नहीं कर पायेगा।

6. उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया कि अप्रार्थीगण श्री गणपत, श्री खीमाराम एवं श्री नारायणलाल प्रार्थीया श्रीमती हंजा बाई के पुत्र हैं तथा इनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी बनती है। श्री गणपत व श्री खीमाराम ने अपनी बकाया राशि जुन 2019 तक की प्रार्थिया श्रीमती हंजा बाई के बैंक के खाते मे जमा करवा दी है।

उप-खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण आर्थित स्थति को ध्यान रखते हुये यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री गणपत 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मासिक, अप्रार्थी संख्या 2 श्री खीमाराम 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये मासिक व अप्रार्थी संख्या 3 श्री नारायणलाल के मेडिकल स्टेटस के कारण 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये मासिक किया जाता है। प्रार्थिया के बैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखें। उक्त रूपये समय पर प्रार्थीया के बैंक/पोस्ट ऑफिस मे जमा करावें तथा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। आदेश की अवहेलना करने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)
पाली

Scanned by CamScanner